

वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हों/नहीं) यदि हों तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा द्वारा चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा NH-149B रकबा 4.493 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देश तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत रकबा 2.82 हे. एवं जांजगीर चांपा वनमण्डल अंतर्गत 1.673 हे. कुल रकबा 4.493 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित राजस्व वनभूमि 4.493 हे. का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

आवेदित वनक्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु प्रकरण में वन्यप्राणी योजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यप्राणी को प्रेषित किया जायेगा।

अनुशंसित

दिनांक 15-01-2021

(नवीद शुजाउद्दीन) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

plc